यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार, के माह अगस्त/2015 से सतम्बर/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री मुन्ना राम लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11.10.2017 से 16.10.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री र वन्द्र कुमार भट्ट सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री सलीम खान वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31/08/2015 से 08/09/2015 तक श्री हनुमान संह लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापीरक्षक अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2013 से 07/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल वभाग द्वारा प्रान्तीय रत्रक दल स्वयं सेवकों की भर्ती, सुढडीकरण युवा महोत्सव का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित खेल वधा प्रतियो गता, वकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्र शक्षण, युवक/महिला मंगल का गठन, पंजीकरण एवं मार्गदर्शन, सर्वक्षेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को ववेकानन्द यूथ एवार्ड के अन्तर्गत प्रोत्साहित कया जाना, खेल मैदान का वकास एवं स्वयं सेवकों को व भन्न वबागों में कार्य निस्पादन हेतु ड्यूटी लगायी जाती है। कार्यालय का भौगो लक अ धकार क्षेत्र समस्त हरिद्वार जनपद है।

(ब) जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार, एवं इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं का भौगो लक क्षेत्र बताया जाय।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	--	--	150.79	143.40	147.60	147.60	--	7.39
2016-17	--	--	105.96	82.57	419.11	419.11	--	23.39
2017-18 (up to 09/2017	--	--	42.90	24.55	200.00	176.53	--	41.82

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्र्तगत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. अपर सचिव 3. निदेशक 4. वित्त नियंत्रक 5. संयुक्त निदेशक 6. उपनिदेशक 7. सहायक निदेशक 8. सहायक समादेष्टा 9. सहायक लेखाधिकारी 10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, हरिद्वार, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अगस्त 2017 एवं अक्टूबर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार, के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर 01 :- 21.45 लाख की लागत से योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत आवासीय भवन का निर्माण।

जिला योजना 2015-16 हेतु निदेशालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, "ग्रामीण युवा वर्ग के सर्वांगीण वकास हेतु युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने तथा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचा लत करने, युवा कल्याण संबंधी प्र शक्षण कार्यक्रम संचा लत करने, जनपद में सांस्कृतिक /साह सक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं की वकास में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिन जनपदों में युवा केन्द्र अभी तक स्था पत नहीं हो पाये हैं उनमें युवा केन्द्र की स्थापना हेतु भू म उपलब्धता के उपरांत आगणन तैयार कर युवा केन्द्र निर्माण हेतु धनरा श का प्रावधान कराया जाए।"

उक्त के क्रम में इकाई द्वारा युवा केन्द्र रोशनाबाद के परिसर में युवा बहुद्देशीय भवन निर्माण /रखरखाव हेतु 21.45 लाख की योजना प्रस्ता वत की गयी। जिसे दिनांक 01 /06 /2015 को वभागीय मंत्री द्वारा अनुमोदित कया गया।

अ भलेखों की जांच में पाया गया क उक्त स्वीकृत धनरा श से रोशनाबाद परिसर में टाइप 4 अ धकारी आवास का निर्माण कराया गया जो क जिला योजना 2015-16 हेतु जारी दिशानिर्देशों के वपरीत था।

लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा व र्णत कया गया क उक्त भवन का उपयोग बहुद्देशीय भवन के तौर पर कया जाता है जो क जिला योजना के प्रस्ताव के अनुरूप है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त आवास को अ धकारी आवास के रूप में नि र्मत कया गया जिसका उपयोग रहने हेतु तो कया जा सकता है परंतु संस्कृतिक रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु नहीं कया जा सकता, साथ ही अ धकारी आवास के तौर पर कभी भी अ धकारियों द्वारा अपने निवास हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही जिला योजना संरचना हेतु निदेशालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के वपरीत भी था।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर 02 :-पायका योंजनांतरगत 69.00 के व्यय से निर्मित खेल मैदानों के निष्क्रिय होने से निष्फल व्यय।

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा देश क 75% आबादी जो क मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, प्रारम्भिक खेल सु वधाओं को उपलब्ध करने हेतु राष्ट्रीय युवा नीति-2001 के अंतर्गत आधारभूत सु वधाओं पर खेल गति व धयों को बढ़ाने हेतु "पंयायत युवा क्रीडा और खेल अ भयान (पायका) प्रारम्भ कया गया। उक्त योजनांतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पट छोटे खेल मैदान 1.00 लाख की लागत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर 5.00 लाख की लागत से तैयार कराये जाने थे।"

जनपद हरिद्वार में योजनांतर्गत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक 1.78 करोड़ क लागत से 163 छोटे मैदान एवं 3 मैदान क्षेत्र पंचायत स्तर पर नि र्मत कराये गए। जांच में पाया गया क दिनांक 25/07/2017 की पायका मैदानों क स्थितिवार आख्या के अनुसार 64 छोटे मैदानों एवं एक क्षेत्र पंचायत स्तर के मैदान की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय थी, इस प्रकार कुल 69.00 लाख की लागत से तैयार मैदान उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क योजनाओं के रखरखाव का बजट प्राप्त न होने के कारण समय के साथ मैदानों क स्थिति पर वपरीत प्रभाव पड़ा, जिस कारण मैदान उपयुक्त नहीं रह गए। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इकाई द्वारा इस संबंध में कभी उच्चा धकारियों को सू चत नहीं कया गया।

इस प्रकार रखरखाव के अभाव में 69.00 लाख के व्यय से नि र्मत मैदानों के निष्क्रिय/निष्फल होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>**भाग-III**</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
शून्य			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार, तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री रमेश चन्द	प्र. जिला यु.क. एवं प्रा.र.द. अ धकारी	अगस्त 2015 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार, को इस आशय से प्रे षत कया गया क वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.